

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ  
पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)  
प्रकरण संख्या - 74/2024

अनवान : -

1. जगदीश पुत्र इन्द्राज जाति खाती निवासी भावलदेसर तहसील नोहर।
2. महावीर पुत्र इन्द्राज जाति खाती निवासी भावलदेसर तहसील नोहर।
3. रूकमा देवी पत्नी हरिराम जाति खाती निवासी भावलदेसर तहसील नोहर।
4. सहीराम पुत्र इन्द्राज जाति खाती निवासी भावलदेसर तहसील नोहर।
5. सावित्री पत्नी शिशपाल जाति खाती निवासी भावलदेसर तहसील नोहर।

- वादीगण

बनाम

1. अमरसिंह पुत्र भूराराम जाति खाती निवासी भावलदेसर तहसील नोहर।
2. ओमप्रकाश पुत्र मंगनाराम जाति खाती निवासी भावलदेसर तहसील नोहर।
3. कृष्ण पुत्र भूराराम जाति खाती निवासी भावलदेसर तहसील नोहर।
4. काशीराम पुत्र मंगनाराम जाति खाती निवासी भावलदेसर तहसील नोहर।
5. गोरीशंकर पुत्र भूराराम जाति खाती निवासी भावलदेसर तहसील नोहर।
6. दलीप पुत्र भूराराम जाति खाती निवासी भावलदेसर तहसील नोहर।
7. महावीर पुत्र मंगनाराम जाति खाती निवासी भावलदेसर तहसील नोहर।
8. रतिराम पुत्र मंगनाराम जाति खाती निवासी भावलदेसर तहसील नोहर।
9. राजाराम पुत्र मंगनाराम जाति खाती निवासी भावलदेसर तहसील नोहर।
10. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

- प्रतिवादीगण

दावा बाबत खाता विभाजन अन्तर्गत धारा  
53 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :- श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादीगण  
श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता प्रतिवादी  
निर्णय

दिनांक: 26/08/2025

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के अन्तर्गत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा भावलदेसर तहसील नोहर के खाता स0 203/178 के ख0न0 246/1 की 7.9189 हैक्ट, ख0न0 281 की 16.255 हैक्ट, ख0न0 330 की 0.1139 हैक्ट कुल 24.2880 हैक्ट भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 तस 9 के नाम संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वाद भूमि का खाता व लगान मुश्तरका रहने से आपस में सीव डोल आदि का झगड़ा बना रहता है वादीगण ने अपने हक व हिस्सा की भूमि को समतल व उपजाउ बना रखा है। वाद भूमि संयुक्त होने के कारण कब्जा काश्त के संबंध में लड़ाई झगड़ा रहता है इसलिए वादीगण मुताबिक कब्जा काश्त व हक हिस्सा के मुताबिक अपना खाता व लगान अलग करवाना चाहती है। यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई मर्तबा कहा की विवादित भूमि का मुताबिक हक हिस्सा व कब्जा काश्त के खाता एवं लगान तकसीम करवा ले तो कई दिन तक आजकल आजकल करते रहें आखिर इन्कार हो गये इसलिए यह दावा पेश किया गया है।

अतः वाद वादीगण घोषणा की जावें की रोही मौजा भावलदेसर तहसील नोहर के खाता स0 203/178 के ख0न0 246/1 की 7.9189 हैक्ट, ख0न0 281 की 16.255 हैक्ट, ख0न0 330 की 0.1139 हैक्ट कुल 24.2880 हैक्ट भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण मुश्तरका खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है का मुताबिक हक हिस्सा व कब्जा काश्त के अनुसार खाता व लगान अलग किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी  
नोहर

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 2, 4 व 7 ता 9 जरिये अधिवक्ता उपस्थित। प्रतिवादीगण संख्या 1, 3 व 5 ता 6 को सम्यक नोटिस तामील होने के उपरान्त भी उपस्थित नहीं अतः प्रतिवादीगण संख्या 1, 3 व 5 ता 6 के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। प्रतिवादीगण संख्या 10 ने जरिये अधिवक्ता जवाब दावा पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। अधिवक्ता वादी व प्रतिवादीगण ने निवेदन किया की साक्ष्य नहीं करवाना चाहते है वाद वादी प्राथमिक डिक्री किया जावे। वाद वादी प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार नोहर से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त किया गया।

विभाजन प्रस्ताव पर बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी व प्रतिवादीगण ने मुताबिक मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद वादी डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार योग्य है।


अतः वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाकर रोही मौजा भावलदेसर तहसील नोहर के खाता स0 203/178 के ख0न0 246/1 की 7.9189 हैक्ट, ख0न0 281 की 16.255 हैक्ट, ख0न0 330 की 0.1139 हैक्ट कुल 24.2880 हैक्ट भूमि वादी व प्रतिवादीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त भूमि का पक्षकारान के हिस्सा अनुसार निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है—

1. 1. जगदीश पुत्र इन्द्राज हिस्सा 1/9 जाति— खाती सा. देह खातेदार, 2. महावीर पुत्र इन्द्राज हिस्सा 1/9 जाति— खाती सा. देह खातेदार राहिन पंजाब नेशनल बैंक शाखा मन्दरपुरा 3. सहीराम पुत्र इन्द्राज हिस्सा 1/9 जाति खाती सा. देह खातेदार राहिन आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड शाखा नोहर 4. रुकमादेवी पत्नि हरिराम हिस्सा 1/3 जाति— खाती सा. देह खातेदार राहिन राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा खुईया 5. सावत्री पत्नि शीशपाल हिस्सा 1/3 जाति— खाती सा. देह खातेदार राहिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा गोरखाना — ग्राम भावलदेसर खसरा न.246/1/1की 2.6397 है. ख0. न. 281/1 की 5.4563 है., कुल =8.0960 है बा. प्रथम
2. 1. अमरसिंह पुत्र भूराराम हिस्सा— 1/4 जाति— खाती सा. देह खातेदार राहिन आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड शाखा नोहर, 2. कृष्ण पुत्र भूराराम हिस्सा— 1/4 जाति— खाती सा. देह खातेदार राहिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा गोरखाना 3. गौरीशंकर पुत्र भूराराम हिस्सा— 1/4 जाति—खाती सा. देह खातेदार राहिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा गोरखाना 4. दलीप पुत्र भूराराम हिस्सा— 1/4 जाति—खाती सा. देह खातेदार राहिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा गोरखाना — ग्राम भावलदेसर खसरा न. 330 की 0. 1139 है. ख.न. 246/1/2 की 2.6396 है., ख.न. 281/2 की 5.3424 है. कुल = 8.0959 है. बा.प्रथम
3. 1. ओमप्रकाश पुत्र मगनाराम हिस्सा 1/5 जाति— खाती सा. देह खातेदार राहिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा गोरखाना 2. काशीराम पुत्र मगनाराम हिस्सा 1/5 जाति खाती सा. देह खातेदार राहिन आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड शाखा नोहर 3. महावीर पुत्र मगनाराम हिस्सा 1/5 जाति— खाती सा. देह खातेदार, 4. रतिराम पुत्र मगनाराम हिस्सा 1/5 जाति— खाती सा. देह खातेदार राहिन राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा खुईया

5. राजाराम पुत्र मगनाराम हिस्सा 1/5 जाति खाती सा. देह खातेदार राहिन आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड शाखा नोहर – ग्राम भावलदेसर ख.न. 246/1/3 की 2. 6396 है., ख.न. 281/3 की 5.4563 है. कुल 8.0959 है. बा. प्रथम

तहसीलदार नोहर को आदेशित किया जाता है कि की किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावें। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे एवं तहसीलदार नोहर के विभाजन प्रस्ताव व नजरीय नक्शा को अन्तिम डिक्री का भाग पढ़ा जावें। खर्चा उभयपक्षकारान अपना-अपना वहन करे। अन्तिम पर्चा डिक्री जारी हों।

निर्णय आज दिनांक 26/08/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
एवं सहायक कलक्टर  
नोहर

## अंतिम पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ  
पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)  
प्रकरण संख्या - 74 / 2024

अनवान : -

1. जगदीश पुत्र इन्द्राज जाति खाती निवासी भावलदेसर तहसील नोहर।
2. महावीर पुत्र इन्द्राज जाति खाती निवासी भावलदेसर तहसील नोहर।
3. रूकमा देवी पत्नी हरिराम जाति खाती निवासी भावलदेसर तहसील नोहर।
4. सहीराम पुत्र इन्द्राज जाति खाती निवासी भावलदेसर तहसील नोहर।
5. सावित्री पत्नी शिशपाल जाति खाती निवासी भावलदेसर तहसील नोहर।

- वादीगण

### बनाम

1. अमरसिंह पुत्र भूराराम जाति खाती निवासी भावलदेसर तहसील नोहर।
2. ओमप्रकाश पुत्र मंगनाराम जाति खाती निवासी भावलदेसर तहसील नोहर।
3. कृष्ण पुत्र भूराराम जाति खाती निवासी भावलदेसर तहसील नोहर।
4. काशीराम पुत्र मगनाराम जाति खाती निवासी भावलदेसर तहसील नोहर।
5. गोरीशंकर पुत्र भूराराम जाति खाती निवासी भावलदेसर तहसील नोहर।
6. दलीप पुत्र भूराराम जाति खाती निवासी भावलदेसर तहसील नोहर।
7. महावीर पुत्र मगनाराम जाति खाती निवासी भावलदेसर तहसील नोहर।
8. रतिराम पुत्र मगनाराम जाति खाती निवासी भावलदेसर तहसील नोहर।
9. राजाराम पुत्र मगनाराम जाति खाती निवासी भावलदेसर तहसील नोहर।
10. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।


- प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 74 सन 2024 निर्णय दिनांक 26/08/2025

आज यह वाद मुझ राहुल श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्ष की उपस्थिति में निर्णायार्थ प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों के आधार साबित होने के कारण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाकर रोही मौजा भावलदेसर तहसील नोहर के खाता स0 203/178 के ख0न0 246/1 की 7.9189 हैक्ट, ख0न0 281 की 16.255 हैक्ट, ख0न0 330 की 0.1139 हैक्ट कुल 24.2880 हैक्ट भूमि वादी व प्रतिवादीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त भूमि का पक्षकारान के हिस्सा अनुसार निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है-


1. 1. जगदीश पुत्र इन्द्राज हिस्सा 1/9 जाति- खाती सा. देह खातेदार, 2. महावीर पुत्र इन्द्राज हिस्सा 1/9 जाति- खाती सा. देह खातेदार राहिन पंजाब नेशनल बैंक शाखा मन्दरपुरा 3. सहीराम पुत्र इन्द्राज हिस्सा 1/9 जाति खाती सा. देह खातेदार राहिन आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड शाखा नोहर 4. रूकमादेवी पत्नि हरिराम हिस्सा 1/3 जाति- खाती सा. देह खातेदार राहिन राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा खुईया 5. सावत्री पत्नि शीशपाल हिस्सा 1/3 जाति- खाती सा. देह खातेदार राहिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा गोरखाना - ग्राम भावलदेसर खसरा न.246/1/1की 2.6397 है. ख0. न. 281/1 की 5.4563 है., कुल =8.0960 है बा. प्रथम

  
उपखण्ड अधिकारी  
नोहर

2. 1. अमरसिंह पुत्र भूराराम हिस्सा- 1/4 जाति- खाती सा. देह खातेदार राहिन आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड शाखा नोहर, 2. कृष्ण पुत्र भूराराम हिस्सा- 1/4 जाति- खाती सा. देह खातेदार राहिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा गोरखाना 3. गौरीशंकर पुत्र भूराराम हिस्सा- 1/4 जाति-खाती सा. देह खातेदार राहिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा गोरखाना 4. दलीप पुत्र भूराराम हिस्सा- 1/4 जाति-खाती सा. देह खातेदार राहिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा गोरखाना - ग्राम भाबलदेसर खसरा न. 330 की 0. 1139 है. ख.न. 246/1/2 की 2.6396 है., ख.न. 281/2 की 5.3424 है. कुल = 8.0959 है. बा.प्रथम
3. 1. ओमप्रकाश पुत्र मगनाराम हिस्सा 1/5 जाति- खाती सा. देह खातेदार राहिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा गोरखाना 2. काशीराम पुत्र मगनाराम हिस्सा 1/5 जाति खाती सा. देह खातेदार राहिन आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड शाखा नोहर 3. महावीर पुत्र मगनाराम हिस्सा 1/5 जाति- खाती सा. देह खातेदार, 4. रतिराम पुत्र मगनाराम हिस्सा 1/5 जाति- खाती सा. देह खातेदार राहिन राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा खुईया 5. राजाराम पुत्र मगनाराम हिस्सा 1/5 जाति खाती सा. देह खातेदार राहिन आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड शाखा नोहर - ग्राम भावलदेसर ख.न. 246/1/3 की 2. 6396 है., ख.न. 281/3 की 5.4563 है. कुल 8.0959 है. बा. प्रथम

तहसीलदार नोहर को आदेशित किया जाता है कि की किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावें। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे एव तहसीलदार नोहर के विभाजन प्रस्ताव व नजरीय नक्शा को अन्तिम डिक्री का भाग पढ़ा जावें। खर्चा उभयपक्षकारान अपना-अपना वहन करे।

यह अंतिम डिक्री आज दिनांक 26/08/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

  
(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
एवं सहायक कलक्टर  
नोहर